डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2001—माघ 24, शक 1922

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2001

आयोग की अधिसूचना क्रमांक 154/छत्तीसगढ़/2001, दिनांक 10 जनवरी 2001, 20 पौष, 1922 शक सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .

प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख 10 जनवरी, 2001, 20 पौष, 1922 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/छत्तीसगढ़/2001-का.प्रशासन.—लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, आई. ए. एस. (आर. आर. 083) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. श्री अजय सिंह को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के रूप में कार्य करते हुए सचिव ऊर्जा एवं जल संसाधन के उनके वर्तमान पद पर

बने रहने की अनुमति दी जाती है . छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद वे उपरोक्त अतिरिक्त प्रभार को धारण करना समाप्त कर देंगे और तत्काल सौंप देंगे .

आदेश से,

(ललित मोहन)
अवर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001

Dated the 10th January, 2001, 20-Paush, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Representation of the People Act, 1950 (No. 43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with Government of Chhattisgarh hereby appoint Shri Ajay Singh I. A. S. (R. R. 83) as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders.

Shri Ajay Singh while working as Chief Electoral Officer, Chhattisgarh is allowed to retain his present charge of Secretary Energy and Water Resources. He shall case to hold and handover forthwith the said additional charge immediately after the announcement of elections in the State of Chhattisgarh.

By order.

(LALIT MOHAN)
Under Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2001, 17 माघ, 1922 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/छ. ग.-वि. स./2001 (1).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा तारीख 22 जनवरी, 2001, की अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-वि. स./2001 (1) द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में पहले से ही नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की छत्तीसगढ़ विधान सभा के उप-निर्वाचन के दौरान मतगणना में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
1. 24-मरवाही (अ. ज. जा.)	1. डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी 2. डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर 3. डिप्टी कलेक्टर, नजूल, बिलासपुर 4. डिप्टी कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा, बिलासपुर .

अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्तियां संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने के साथ ही प्रभावी नहीं रहेंगी .

आदेश से,
हस्ता./-
(एल. एच. फारुकी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001.

Dated 6th February, 2001, 17-Magha, 1922 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/C.G.-LA/2001(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the Pople Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission of India further appoints the officers of Government specified in column (2) of the table below in addition to the officers already appointed as Assistant Returning Officer vide notification No. 434/CG-L.A./2001 (1), dated 22nd January, 2001, as Assistant Returning Officer to Assist the Returning Officer of the Assembly Constituency specified in column (1) of the said table against each officer of the State Government in counting of votes the ensuing Bye-election to the State Legislative Assembly in Chhattisgarh.

TABLE

S. No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
24-Marwahi (ST)	1. Deputy Collector, SDO, Lormi. 2. Deputy Collector, SDO, Bilaspur. 3. Deputy Collector, Nazul, Bilaspur. 4. Deputy Collector, In-charge Officer, Senior Clerical Section, Bilaspur.

The above additional appointments shall cease to be effective with completion of process of the Bye-election to above mentioned constituency.

By order,
Sd./-
(L. H. FARUQI)
Secretary
Election Commission of India.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.